ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/10631/2002/जयपुर जगदीश प्रसाद बनाम जगदीश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

––

निर्णय

दिनांकः26–06–19

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–12–2001 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी ने एक प्रा0 पत्र उप तहसीलदार, कालवाड़ जिला जयपुर के न्यायालय में पेश कर रास्ता पुराना होने के कारण इसे खुलवाए जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण को तलब किया। प्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 22–06–96 द्वारा कदीमी रास्ते के अवरोध को हटाने व अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग के आदेश प्रदान किए। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपील जिला कलक्टर, जयपुर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–12–2001 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर अपना निर्णय दिना पारित किया। उनका तर्क था कि

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/10631/2002/जयपुर जगदीश प्रसाद बनाम जगदीश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विवादित भूमि ग्राम पंचायत भम्भोरी के क्षैत्राधिकार में स्थित है, इसलिए प्रारम्भिक 45 दिन कीी समयावधि हेतु धारा 251 के तहत कार्यवाही करने का क्षैत्राधिकार ग्राम पंचायत को ही है। उप तहसीलदार, कालवाड़ द्वारा पारित आदेश क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। उनका तर्क था कि भूमि खसरा नं0 744, 807, 805 व 802 में से होकर कोई रास्ता कभी विद्यमान नहीं रहा, जिसे अवरूद्ध किया जा सकता हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह अंकित नहीं किया कि उक्त भूमियों में से कहा से तथा कितना चौ़ा रास्ता था एवं उसे किस प्रकार अवरूद्ध किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण को नया रास्ता प्रदत्त करने का निर्णय पारित किया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। उनका तर्क था कि धारा 251 के अन्तर्गत आदेश मात्र उन्हीं परिस्थितियों में पारित किया जा सकता है जब किसी खातेदार कृषक के कृषि जोत के उपयोग हेतु कोई रास्ता पूर्व से सिद्यमान हो तथा उसे अवरूद्ध किया गया हो किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थीगण ने अपने प्रा0 पत्र में ऐसे किसी रास्ते का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया व न ही प्रार्थीगण द्वारा उत्पन्न किए गए तथाकथित अवरोध को ही अंकित किया है, जिसे धारा 251 के तहत हटाए जाने का आदेश पारित किया जा सकता हो। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने क्षैत्राधिकार के विपरीत अपने निर्णय पारित किए है, अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उप तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जयपुर की उपस्थिति	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/10631/2002/जयपुर जगदीश प्रसाद बनाम जगदीश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में 11 जनवरी 1996 को मौका निरीक्षण किया गया तब उक्त रास्ता चालू था एवं पटवारी की रिपोर्ट से भी उक्त रास्ते के पुराने होने का तथ्य स्पष्ट होता है, ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय में रास्ता पुराना होने के तथ्य को सिद्ध पाते हुए उस पर किए गए अवरोध को हटाने व अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग करने हेतु आदेश पारित किए है। हम योग्य अधिवक्ता प्रार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष पक्ष पेश करने का मौका नहीं दिया गया है, क्योंकि उनकी नियमानुसार तामील के बाद भी वे न्यायालय के समख उपस्थित नहीं हुए ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष एकतरफा आदेश परित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। हम योग्य अधिवक्ता प्रार्थी के इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि उप तहसीलदार कालवाड द्वारा पारित निर्णय क्षैत्राधिकार विहिन है, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में अपने अधिकार का प्रयोग किया जा चुका था, ऐसी स्थिति में उप तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय को क्षैत्राधिकार विहिन नहीं कहा जा सकता और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन तथ्यों के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किया है। हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। अतः यह निगरानी खारिज किया जाना समीचीन है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	